न्यूज ब्रीफ

तीन बांग्लादेशियों के एटीएस की गिरफ्त में आते ही पत्नी-बेटे को छोड़कर भागा सरगना

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लंबे समय से फर्जी दस्तावेज के जरिए रह रहे तीन बांग्लादेशी भाइयों के गिरफ्त में आने की खबर लगते ही सरगना शेख अली बीते रविवार से गायब है। वह पैसे लेकर फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैनकार्ड, स्कूली शिक्षा का प्रमाण-पत्र, जन्म प्रमाण-पत्र, पासपोर्ट, वीजा आदि बनवाकर कई लोगों को दुबई, बगदाद (इराक) और सीरिया भेज चुका है। मगर, इस बार सगे भाई मो. इस्माइल, शेख अकबर और शेख साजन का जन्मप्रमाण पत्र बनवाने के चक्कर में फंस गया। फरार सरगना शेख अली की पत्नी शेख फरीदा का कहना है कि वह हमेशा अपने पति को गलत काम छोड़कर सही रास्ते पर चलने को कहती थी। मगर, वह नहीं माना। रविवार 9 जनवरी को वह बदहवास हालत में घर पहुंचा। अपने कपड़े आदि बैग में रखकर कहा कि बाहर जा रहा हूं। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। तब से उससे कोई संपर्क नहीं है। मोबाइल भी स्विच ऑफ है। पड़ोसियों ने शेख अली समेत पूरे परिवार की शुरू से गतिविधियां संदिग्ध होने और बात पर विवाद करने की जानकारी दी। पत्नी शेख फरीदा का कहना है कि गलत कामों का विरोध करने पर शेख अली उसे और बेटे शेख फैज की पिटाई करता था। मूलतः नागपुर (महाराष्ट्र) के मोमिनपारा की निवासी शेख फरीदा ने वर्ष 2025 में नागपुर में ही रह रहे शेख अली से निकाह किया था।

शकुंतला फाउंडेशन ने बुजुर्गों के साथ मनाया मातृ-पितृ दिवस

रायपुर। सामाजिक संस्था शकुंतला फाउंडेशन छत्तीसगढ़ द्वारा मातृ-पितृ दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस आयोजन में बड़ी संख्या में बुजुर्ग उपस्थित रहे, जिनके सम्मान में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए।समारोह के दौरान भजन संध्या और मनोरंजन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें अंताक्षरी स्पर्धा विशेष आकर्षण का केंद्र रही। संस्था की अध्यक्ष श्रीमती स्मिता सिंह ने सभी बुजुर्गों को शाल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी दुबे परिवार को विशेष रूप से सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में श्रीमती सोनल राजेश शर्मा, सुषमा बग्गा, डॉ. अनुश्री पाठक, संजना सिंह, रूनाली चक्रवर्ती, पदमा घोष, ओम हेमराजनी, महेश दुबे सहित कई संस्था सदस्य उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं बैठक संपन्न, 20 राज्यों के बोर्ड सदस्यों ने सुझाव रखे, बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने कहा-

हम विकसित भारत संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाने को प्रतिबद्ध

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने बताया कि विगत दिनां नई दिल्ली राजधानी के वाणिज्य भवन में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की 5वीं महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता बोर्ड के चेयरमैन सुनील सिंघी ने की। इस बैठक में 9 विभिन्न मंत्रालयों के जॉइंट सेक्रेटरी भी मौजूद थे। बैठक में करीब 20 राज्यों के बोर्ड सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव रखे। बैठक में बजट 2025 के तहत व्यापारियों को मिलने वाले लाभों पर विस्तृत चर्चा हुई। पारवानी ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हम विकसित भारत संकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी ने समावेशी और लाभकारी बजट 2025-26 के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया, जो एमएसएमई व्यापारियों का समर्थन करेगा और व्यापार करना आसान बना देगा। बोर्ड ने बजट के सकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। खुदरा व्यापारियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की जागरूकता और पहुंच बढ़ाने के लिए नौ मंत्रालयों के बोर्ड सदस्यों और अधिकारियों से सुझाव एकत्र किए गए।

पारवानी ने बताया कि जल्द ही हर राज्य में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। जिससे भारत के प्रत्येक जिले तक व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे देश की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।

अमर पारवानी ने छत्तीसगढ के व्यापारियों के लिए अहम मांग उठाई। उन्होंने बताया कि टैक्स से बचा हुआ पैसा व्यापारियों के परिवारों के खर्च में आएगा, जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सब का साथ, सब का विकास सार्थक होगा। पारवानी ने छत्तीसगढ में व्यापारियों को राहत देने के लिए अनेक मांगें भी रखी, जिनमें ट्रेड लाइसेंस, लेबर लॉ और जीएसटी एवं जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने की व्यवस्था, व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का शीघ्र क्रियान्वयन आदि शामिल रहा।

पारवानी ने बताया कि दिल्ली में हुई यह बैठक व्यापारियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। पारवानी ने मांग की है, कि एमएमएई में उद्योगपतियों को जो लाभ मिलता है। वहीं लाभ सभी व्यापारियो को भी मिलना चाहिए। क्योकि इसमें सरकार और व्यापारी समुदाय के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए ठोस निर्णय लिए गए। पारवानी ने आगे बताया कि 43 बी एच के मुद्दे पर भी विचार करने की मांग की ओर कहा कि 45 दिन में कोई व्यापारी पेमेन्ट नहीं दे पाता है और व्यापारियों को मॉल बेचने के लिए उधार में मॉल बेचना ही पड़ता है। जीएसटी मे 6 महीने का उधार है और जब तक व्यापारी शिकायत नहीं करता तब तक जीएसटी विभाग दखल अंदाजी नहीं करता । 43 बीएच में भी पेमेन्ट का लेन देन 6 महीने का होना चाहिए। सायकल पार्ट्स पर भी जीएसटी 5 प्रतिशत होना चाहिए।

विकलांग सामूहिक विवाह आज, शुभ विवाह में मुख्यमंत्री देंगे आशीर्वाद

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

राज्य स्तरीय विकलांग युवक-युवती सामूहिक विवाह 16 फरवरी को आशीर्वाद भवन में आयोजित किया जाएगा. इस आयोजन में शामिल होने वाले विकलांग वर-वधू को शनिवार को शाम 4 बजे तेल-मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी.इस समारोह का आयोजन अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद रायपुर, सेंट्रल मारवाड़ी युवा मंच, कान्य कुब्ज सभा, शिक्षा मंडल, और सीनियर सिटीजन वेलफेयर फोरम के संयुक्त तत्वाधान में निशुल्क संपन्न कराया जाएगा. मुख्य अतिथि और आयोजन की भव्यता-कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र पांडे और छत्तीसगढ़ प्रांत विकलांग चेतना परिषद के अध्यक्ष

सत्येंद्र अग्रवाल ने बताया कि इस निशुल्क सामूहिक विवाह के आशीर्वाद समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे.
कार्यक्रम अध्यक्षः पूर्व मंत्री एवं रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल होगे
समारोह भूषणः राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विकलांग चेतना परिषद डॉ. विनय पाठक. विशिष्ट अतिथिः समाजसेवी चतुर्भुज अग्रवाल एवं धरसीवां विधायक अनुज शर्मा
विवाह समारोह की भव्य तैयारियां
92 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जाएगा, जिसे पहले भी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है.15 फरवरीः आगमन पर विकलांग युवक-युवतियों का स्वागत, पंजीयन, आवास व भोजन की निशुल्क व्यवस्था. शाम 4 बजेः वर-वधू के लिए तेल, हल्दी, मेहंदी की रस्में.
शाम 6 बजेः महिलाओं के गीत-संगीत और पारंपरिक रीति-रिवाज.
संगीत संध्याः रामदास अग्रवाल व पार्टी डांस ग्रुप द्वारा विशेष प्रस्तुति.
16 फरवरीः वैवाहिक समारोह का भव्य आयोजन-सुबह 10 बजेः सामूहिक विवाह का शुभारंभ-वैदिक रीति-रिवाज से विवाहः आर्य समाज के छत्तीसगढ़ प्रमुख आचार्य जगबंधु और आचार्य विरोचन शास्त्री अपने सहआचार्यों के साथ विवाह संपन्न कराएंगे.

दोनों हाथों को बांधकर बात करना आपके संकोच को दर्शाता है : प्रियंम नथानी

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

दोनों हाथों को सीने पर क्रॉस करके बात करना आपके संकोच को दर्शाता है तथा बातचीत के दौरान लगातार आंखों से संपर्क करना, यह आत्मविश्वास और बातचीत में रुचि को दर्शाता है।

मुस्कुराना सकारात्मक और स्वागत योग्य वातावरण उत्पन्न कर सकता है। कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, तो थोड़ा झुकना यह दर्शाता है कि आप बातचीत में शामिल हैं और अधिक सुनने के लिए उत्सुक हैं। मजबूत लेकिन अत्यधिक दबाव न डालकर हाथ मिलाना यह सम्मान और दूसरे व्यक्ति से जुड़ने की इच्छा को दर्शाता है। बातचीत के

दौरान खुले हाथ दिखाना यह संकेत करता है कि आप ईमानदार और पारदर्शी हैं। ये सभी बातें तारवानी एंड एसोसिएट्स द्वारा आयोजित आर्टिकल स्टडी मीट में ट्रेनर प्रियंम नाथानी ने बताई। इस सत्र का मुख्य विषय शारीरिक भाषा और संचार कौशल था, जिसे विशेषज्ञ वक्ता प्रियंम नथानी ने प्रस्तुत किया। इस सत्र में शारीरिक भाषा, शरीर की मुद्रा, चेहरे के भाव और पेशेवर इंटरएक्शन पर इन तत्वों के प्रभाव को महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया। वक्ता प्रियंम नथानी ने बताया कि इन कौशलों में महारत हासिल करने से पेशेवरों को अपने क्लाइंट्स, सहकर्मियों और व्यक्तिगत विकास में मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिल सकती है।

भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे - मुख्यमंत्री

साय ने श्रीमद्भागवत कथा में किया श्रीकृष्ण-सुदामा प्रसंग का श्रवण

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के डुंडा स्थित अशोका पाम मिडोज कॉलोनी में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में शामिल हुए। इस पावन अवसर पर उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और श्रीराधा रानी से समस्त छत्तीसगढ़वासियों की सुख-समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने व्यासपीठ का नमन करते हुए कथाव्यास पंडित कृष्ण गौड़ शास्त्री से आशीर्वाद लिया और श्रीकृष्ण-सुदामा प्रसंग का श्रवण किया।

मुख्यमंत्री साय ने कथाव्यास पंडितकृष्ण गौड़ शास्त्री का माता कौशल्या की पावन भूमि छत्तीसगढ़ में हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण अत्यंत सौभाग्य की बात है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमें धर्म, प्रेम और कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता है। मैं आशा करता हूँ कि सभी श्रद्धालु इस कथा के दिव्य संदेश को आत्मसात करेंगे और इसे

अपने जीवन में अपनाएंगे। भगवान श्रीकृष्ण हम सभी को शक्ति दें कि हम पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर सकें। छत्तीसगढ़ भगवान श्रीराम की वनवास स्थली, रामभक्तों के लिए महाकुंभ में विशेष व्यवस्था- मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भगवान श्रीराम के वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बीता, और यहां उन्हें भांचा के रूप में सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रीरामलला दर्शन योजना के तहत अब तक 20,000 से अधिक रामभक्तों को अयोध्या धाम में श्रीरामलला के दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया है। इस अवसर पर भूपेंद्र सवन्नी, राजीव अग्रवाल, सरल मोदी सहित श्रीमद्भागवत कथा के आयोजकगण, स्थानीय गणमान्यजन और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की विशेष व्यवस्था

मुख्यमंत्री साय ने प्रयागराज महाकुंभ के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि 144 वर्षों बाद यह शुभ संयोग आया है, और छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की विशेष व्यवस्था की है। इस पवेलियन में निःशुल्क आवास, भोजन और अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि छत्तीसगढ़ से जाने वाले श्रद्धालु सुविधापूर्वक स्नान, दर्शन और धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। मुख्यमंत्री ने श्रीमद्भागवत कथा के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिक चेतना का संचार करते हैं।

4 करोड़ की चुनावी शराब अलग-अलग जिलों में जब्त की गई

रायपुर। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता के दौरान आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। यह अभियान 1 फरवरी से 12 फरवरी के बीच चलाया गया, जिसमें कई जिलों में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब और वाहनों को जब्त किया गया।7 जिलों में छापेमारी, करोड़ों की जब्तीयह कार्रवाई कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, कोरबा, बेमेतरा, बलौदाबाजार और राजधानी रायपुर सहित कुल 7 जिलों में की गई। इस दौरान 3 करोड़ 83 लाख 47 हजार 950 रुपये मूल्य की देशी-विदेशी शराब परिवहन में इस्तेमाल किए गए वाहन जब्त किए गए। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया गया था।

जल्द दौड़ेगी रायपुर से अभनपुर तक ट्रेन, यात्रियों को बड़ी सौगात

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

8 सालों के लंबे इंतजार के बाद राजिमवासियों के लिए खुशखबरी सामने आई है। अब एक बार फिर से यहां ट्रेनों की आवाज सुनाई देगी। रेलवे प्रशासन ने रायपुर से अभनपुर तक की पटरियों की जांच पूरी कर ली है और अब शुक्रवार से राजिम तक पटरियों का परीक्षण किया जाएगा।

छोटी रेल लाइन खत्म होने के बाद पहली बार यहां ट्रेन पहुंचेगी। ट्रेन सेवा का शुरू होना न केवल राजिम, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी सुविधाजनक होगा।यह ट्रेन लोगों के परिवहन को आसान बनाएगी और समय की बचत भी करेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पटरियों का परीक्षण और जांच के बाद ट्रेन की आवाजाही शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। यह सिर्फ राजिम के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के यात्रियों के लिए भी एक बड़ी सौगात होगी। इससे अब उन्हें लंबे समय तक सड़क यातायात में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।रायपुर से अभनपुर तक का सफर ट्रेन में एक घंटा 10 मिनट का होगा, जबकि सीबीडी स्टेशन, नया रायपुर पहुंचने में केवल 37 मिनट का समय लगेगा। वहीं, सिटी बस से नया रायपुर पहुंचने में 40 मिनट से ज्यादा समय लगता है, लेकिन ट्रेन से यात्रियों का समय और पैसा दोनों बचेंगे। ट्रेन का किराया 10 रुपए निर्धारित किया गया है।

बोर्ड परीक्षा- पढ़ाई के लिए छात्र बनाएं टाइम टेबलः आराधना लाल

पीपुल्स संवाददाता • रायपुर
editor@peoplessamachar.co.in

बोर्ड परीक्षा का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में जहां अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए एक्टिव मोड में आ गए हैं, वहीं स्कूलों में भी शिक्षक बच्चों को रिवीजन करा रहे हैं। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर स्कूल में वार्षिक परीक्षा की तैयारी को लेकर शिक्षिका आराधना लाल ने बच्चों से टाइम टेबल बनाकर अध्ययन करने की बात कही।

उन्होंने बच्चों से तनाव दूर करने के लिए सुबह योग और शाम को वाक की सलाह देते हुए मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से दूर रहने का आग्रह किया। शिक्षिका आराधना लाल ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर बच्चे विषयवार डेली रूटीन के लिए टाइम टेबल बनाएं। हमने अपने स्कूल में सभी बच्चों से यह बनवाया है। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे अपनी दिनचर्या में अनुपयुक्त समय का महत्व समझे व उसका सदुपयोग करें। ज्यादा टेंशन न ले शांति पूर्वक परीक्षी तैयारी करें, परीक्षा लेकर हेल्पलाईन नंबर भी दिए गए है छात्र अपनी समस्या पूछ सकते हैं।

सभी विद्यार्थियों ने स्वयं ही टाइम टेबल बड़ी उत्सुकता के साथ बनाया। इस पर बच्चों ने समय प्रबंधन से होने वाले फायदे पर आपस में चर्चा भी की। शिक्षिका लाल ने बताया कि टाइम टेबल बनाने के साथ वार्षिक परीक्षा की तैयारी सरल प्रणाली से कैसे की जाए, बच्चों को समझाया जाए। सेल्फ स्टडी पर भी बच्चों को टिप्स दिए गए।

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
कॉर्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी55, 4, थिरु वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइंडी, चेन्नई-600 032, टी.एन.

मांग पत्र

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के प्रावधानों के तहत अधोहस्ताक्षरी चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (सिक्योर्ड क्रेडिटर) के अधिकृत निवेश अधिकारी ने अधिनियम के तहत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया। निम्नलिखित उधारकर्ता (ओं) को उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस (सूचनाओं) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए। अधोहस्ताक्षरी यथोचित रूप से मानते हैं कि उधारकर्ता डिमांड नोटिस (सूचनाओं) की तामीली से बच रहे हैं, इसलिए नोटिस की तामील नियमो के अनुसार चिपकाने और प्रकाशन से प्रभावित हो रही है। मांग नोटिस (सूचनाओं) की सामग्री यहां नीचे निकाली गई है :

स.क्र.	ऋणकर्ता(ओं)/एवं सहऋणकर्ता(ओं) का नाम व पता	ऋण राशि	मांग पत्र दिनांक एवं बकाया राशि	संपत्ति का विवरण / सुरक्षित संपत्ति
1.	ऋण खाता संख्या: HLO1 LAS000042093 1. श्री/श्रीमती रवीश कुमार मल्होत्रा 2. श्री/श्रीमती नवनीत मल्होत्रा दोनों का पता:- एम.नं. बोडिसत्व बीएल 103, साकेत अपार्टमेंट, अग्रसेन चौक, बिलासपुर एम कॉर्प, बिलासपुर, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 001 ; इसके अलावा :- 303, फ्लैट नबर 303, केएच नंबर 622/5, मौजा जूना, बिलासपुर, पीएचएन 22, प्लॉट नबर 272, वार्ड नंबर 13, रानी लक्ष्मीबाई वार्ड, साकेत अपार्टमेंट, ब्लॉक नबर 5, नगर निगम बिलासपुर, आरएनएम-बिलासपुर, ब्लॉक बिल्हा, द. और जिला-बिलासपुर सीजी, अग्रसेन चौक के पास, बिलासपुर-495 004.	₹ 28,92,352/-	12.02.2025 रु.30,37,310/- (रुपये तीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ दस मात्र) 11.02.2025 तक	अचल संपत्ति अर्थात फ्लैट क्रमांक एल/303, "साकेत अपार्टमेंट" बोधिसत्व ब्लॉक, ग्राम : जूना बिलासपुर, पी एच. नंबर 22/36/29, शीट नंबर 4, प्लॉट नंबर 272/1 भाग, खसरा नंबर 622/5 भाग, क्षेत्रफल : 1300 वर्ग फीट, आर. एन. एम. बिलासपुर, नगर निगम बिलासपुर, ब्लॉक बिल्हा, तहसील : बिलासपुर, जिला : बिलासपुर, सी.जी. 495004 वार्ड क्रमांक 15 रानी लक्ष्मी बाई नगर ♦ सीमाएं – • पूर्व - लिफ्ट और फ्लैट नंबर एल/304 ; • पश्चिम : आसमान के लिए खुला ; • उत्तर : मार्ग और सीढ़ियां ; • दक्षिण : आसमान के लिए खुला • पंजीकृत बिक्री विलेख के अनुसार संपत्ति अनुसूची

उधारकर्ता(ओं) को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे डिमांड नोटिस (सूचनाओं) का पालन करें और इसमें और इसके ऊपर उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और खर्चों के साथ करें। उधारकर्ता (ओं) यह नोट करें कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड एक सुरक्षित लेनदार है और ऋणी द्वारा ली गई ऋण सुविधा अचल संपत्ति / संपत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षित ऋण है, जो उधारकर्ता (ओं) की सुरक्षित संपत्ति (यों) द्वारा गिरवी रखी गई है। यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों को पूरा करने में विफल रहता है, तो सुरक्षित लेनदार अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत सुरक्षित संपत्ति (यों) पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगा। बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत उपलब्ध नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके इसे स्थानांतरित करने तक सीमित नहीं है। सुरक्षित लेनदार को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले सुरक्षित संपत्तियों को संलग्न और/या सील करने का भी अधिकार है। सुरक्षित संपत्तियों की बिक्री के बाद, सुरक्षित लेनदार को बकाया राशि की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, यदि गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य सुरक्षित लेनदार को देय देय राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत सुरक्षित लेनदार के लिए उपलब्ध अन्य सभी उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ता(ओं) का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8), उपलब्ध समय के संबंध में, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके तहत उधारकर्ता (ओं) को की पूर्व लिखित सहमति के बिना सुरक्षित संपत्ति (संपत्तियों) के निपटान या व्यवहार से प्रतिबंधित / प्रतिबंधित या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम के अलावा) किसी भी सुरक्षित संपत्ति (ओं) के माध्यम से स्थानांतरित करना सुरक्षित लेनदार और उपरोक्त का पालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग नोटिस की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरी से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : बिलासपुर, छत्तीसगढ़
दिनांक : 12.02.2025
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी)
चोलामंडलम इनवेस्टमेंट एंड फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

ICICI Home Finance
कार्पोरेट ऑफिस : आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड, आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई-400059, इंडिया
शाखा कार्यालय : स्काय पार्क, तल मंजिल, यूनिट नं.01, केनाल रोड के पास, रायपुर - 492001
[नियम 8(6) के परतुक देखें]
अचल संपत्ति के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) 2002 नियमावली के नियम 8 (6) के परतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई नीलामी बिक्री नोटिस,

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी और गारंटीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई है, जिसका कब्जा आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है। नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरण के अनुसार, "जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ भी है" पर बेचा जाएगा.

क्रमांक	ऋणी का नाम/सह ऋणी/गारंटर/कानूनी वारिस/ ऋण खाता संख्या	सुरक्षित सपत्ति (संपत्तियों) का विवरण, यदि कोई है	बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / बयाना जमा राशि	संपत्ति निरीक्षण का तिथि व समय	नीलामी की तिथि और समय	एक दिन पूर्व नीलामी की तिथि	सरफेसी स्टेज
(A)	(B)	(D)	(C)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1.	प्रकाश सोनी (उधारकर्ता) भास्कर सोनी (सह-उधारकर्ता) मेसर्स लक्ष्मी एटरप्राइजेज (गारंटर) ऋण खाता न. NHJAG0001259016	प्लॉट न. 59, खसरा नं. 96/2 भाग, 93/3 भाग, पीएच न. 117/53, मौजे बोरियाकला, तहसील और जिला रायपुर	Rs. 4,08, 964/- फरवरी 06, 2025	Rs. 13,50, 000/- / Rs. 1,35, 000/-	मार्च 11, 2025 11:00 AM 03:00 PM	मार्च 18, 2025 02:00 PM 03:00 PM	मार्च 17, 2025 को 05:00 PM पहले	भौतिक कब्जा
2.	संजय कुमार चिचखेड़े (उधारकर्ता) प्रीति चिचखेड़े (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या: LHDRG00001508030 & LHDRG00001508032	खसरा न. 279/34 (भाग), पीएच नं. 35, मौजे-बजरंगपुर नवागांव, आरएनएम राजनादगांव, तहसील और जिला राजनादगांव (छ.ग.)	Rs. 4,14, 543/- फरवरी 06, 2025	Rs. 4,36, 590/- / Rs. 43,659/-	मार्च 11, 2025 11:00 AM 03:00 PM	मार्च 18,2025 02:00 PM 03:00 PM	मार्च 17, 2025 को 05:00 PM पहले	भौतिक कब्जा
3.	दिव्या सरधारा (उधारकर्ता) संतोष खंडेलवाल (सह-उधारकर्ता) ऋण खाता संख्या LHRPR00001504612 & LHRPR00001504614 & LHRPR00001543852 & LHRPR00001543980	प्लॉट न. 20, 21, 22, 23 का वह पूरा हिस्सा, संयुक्त रूप से विलयित सर्वे नं. 360/1, 360/2, 360/3, 361/1, 361/2, और 361/3, प्रोजेक्ट जिसे नेचुरल सिटी के नाम से जाना जाता है, वार्ड नं. 63, पीएच न. 00060, गांव-भटगांव, आरएनएम रायपुर -1, तहसील एवं जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)	Rs. 3,21,52, 079/- फरवरी 06, 2025	Rs. 4,45,50, 000/- / Rs. 44,55, 000/-	मार्च 11, 2025 11:00 AM 03:00 PM	मार्च 18.2025 02:00 PM 03:00 PM	मार्च 17, 2025 को 05:00 PM पहले	भौतिक कब्जा

ऑनलाइन नीलामी हमारी नीलामी एजेंसी मेटेक्स नेट प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट (यूआरएल लिंक- https://assets.matexauctions.com) पर आयोजित की जाएगी। बंधककर्ताओं/नोटिस को आगे के ब्याज के साथ कुल बकाया का भुगतान करने का आखिरी मौका दिया जाता है। 17 मार्च 25 को शाम 5.00 बजे से पहले अन्यथा इन सुरक्षित संपत्तियों को उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार बेचा जाएगा।

संभावित बोलीदाताओं को बयाना राशि जमा (ईएमडी) आरटीजीएस/डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) (कॉलम ई देखें) आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर 17 मार्च 2025 को शाम 04:00 बजे से पहले या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित पते पर जमा करना होगा। संभावित बोलीदाताओं को पंजीकरण फॉर्म और बोली नियम और शर्तों की हस्ताक्षरित प्रति आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय के पते पर 17 मार्च 25 को शाम 05.00 बजे से पहले या उससे पहले लेख के शीर्ष पर उल्लिखित पते पर जमा करनी होगी। बयाना राशि जमा डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक से "आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड - नीलामी" के पक्ष में लेख के शीर्ष पर उल्लिखित शाखा कार्यालय के पते पर देय होना चाहिए।

नीलामी या निविदाएं जमा करने के निरीक्षण, नियम और शर्तों के संबंध में किसी भी अतिरिक्त स्पष्टीकरण के लिए, कृपया आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से 9920807300 पर संपर्क करें।

प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई और कारण बताए किसी या सभी बोलियो को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.icicihfc.com/ पर जाएं।

दिनांक : 16 फरवरी 2025
स्थान : रायपुर, राजनदगाव
प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फायनेंस कंपनी लिमिटेड
CIN Number:- U65922MH1999PLC120106